REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

महात्मा गांधी के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

डॉ. राम जानकी राय
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान , ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा .

सारांशः

मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। आवश्यकताओं में वृद्धि होने से संसाधनों का न केवल अधिकतम उपयोग होने लगता है। अपितु नवीन संसाधनों का भी ज्ञान होता है अर्थात् संसाधन सदैव गत्यात्मक होते हैं, किन्तु ये असीमित नहीं होते, यही कारण है की इनका अनियोजित शोषण उन्हें समाप्त भी कर सकता है। इसी तथ्य से संसाधनों के संरक्षण का प्रश्न उपस्थित हुआ। आज वैश्विक परिदृश्य में गांधीवाद नए संदर्भो में हमारे लिए अधिक अपरिहार्य और अधिक प्रासंगिक हुआ है। विकासहीनता और साभ्यतिक टकराव के छद्म से निर्मित यह परिदृश्य संसाधनों की लूट और भोगवाद का ऐसा चित्रा प्रस्तुत करता है कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपराधी होने के सिवा कोई चारा नहीं दिखता।

वर्तमान समय और गांधीवादी विचारधारा में जमीन तथा आसमान का फर्क है, परंतु इस विचारधारा और युवा वर्ग के जिम्मेदारी से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध करने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था और उन वनों पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। चिपको आन्दोलन की प्रमुख बात यह रही कि इसमें आम स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इसी प्रकार गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, वन संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग अन्य विभिन्न आंदोलन हैं, जिसे एक आम आदमी ने चलाया था और कई तो जारी भी है। जिसका रास्ता अहिंसा ही रहा है, जो एक आम आदमी की ताकत का प्रतीक है। प्रस्तुत शोध पत्रा में एक आम आदमी के योगदान द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में गांधीवादी विचारधारा की भूमिका पर संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तावना–

मानव जीवन का अस्तित्व, प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करता है। आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। ैपउउमतउंद की प्रसिद्ध पुस्तक ''वर्ल्ड रिसोर्सेस एण्ड इंडस्ट्रीज'' में लिखा है– "The world resource does not refer to a thing or a which a thing or a substance may perform or to an operation in which it may take part." जैसे–जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होती हैं, ज्ञान–विज्ञान एवं तकनीकी विकास होता जाता है। संसाधन का न केवल अधिकतम उपयोग होने लगता है। अपितु नवीन संसाधनों का भी ज्ञान होता है अर्थात् संसाधन सदैव गत्यात्मक होते हैं, किन्तु ये असीमित नहीं होते, यही कारण है कि इनका अनियोजित शोषण उन्हें समाप्त भी कर सकता है या उनमें कमी ला भी सकता प्रश्न उपस्थित हुआ, इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रश्न प्रमुख है। जिसका परिणाम सम्पूर्ण मानव जाति के लिये हानिकारक होगा।

गांधीजी कहा करते थे कि ''नैतिक और सामाजिक उत्थान को ही हमने अहिंसा का नाम दिया है। यह स्वराज्य का चतुष्कोण है। इनमें से एक भी अगर सच्चा नहीं है तो हमारे स्वराज्य की सूरत ही बदल जाती है। मैं राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्राता की बात करता हूँ। राजनीतिक स्वतन्त्राता से मेरा मतलब किसी देश की शासन प्रणाली की नकल

substance but to a function | है। इसी तथ्य से संसाधनों के संरक्षण का |

से नहीं है। उनकी शासन प्रणाली अपनी–अपनी प्रतिभा के अनुसार होगी, परन्तु स्वराज्य में हमारी शासन प्रणाली हमारी अपनी प्रतिभा के अनुसार होगी। मैंने उसका वर्णन 'रामराज्य' शब्द के द्वारा किया है। अर्थात् विशुद्ध राजनीति के आधार पर स्थापित तन्त्रा। आज वैश्विक परिदृश्य में गांधीवाद नए संदर्भों में हमारे लिए अधिक अपरिहार्य और अधिक प्रासंगिक हुआ है। पूंजीवाद के संदर्भ में एक ध्रुवी होता हुआ। विश्व अपने लिए प्रतिरोध के नए तरीकों को लेकर बेचैन है। विकासहीनता और साभ्यतिक टकराव के छद्म से निर्मित यह परिदृश्य संसाधनों की लूट और भोगवाद का ऐसा चित्रा प्रस्तुत करता है कि आनेवाली पीढ़ियों के प्रति अपराधी होने के सिवा कोई चारा नहीं दिखाता।''

वर्तमान समय और गांधीवादी विचारधारा में जमीन तथा आसमान का फर्क है, परन्तु इस विचारधारा और युवा वर्ग की जिम्मेदारी से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। 'चिपको आंदोलन' एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखण्ड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिये किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। चिपको आन्दोलन की प्रमुख बात यह रही कि इसमें आम स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था।

प्रमुख संसाधनों का संरक्षण (जल, जंगल और जमीन)

जल संसाधनों का संरक्षणः

जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं सम्पूर्ण जीव जगत निर्भर है। संसार में जल का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर और नगरों में 150 लीटर होता है। जल मनुष्य की बुनियादी जरूरत है, इसे मानवाधिकार का दर्जा भी दिया जाता है। इसके बावजूद दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होता। भारत में जल के दो मुख्य स्रोत हैं– वर्षा और हिमालय के ग्लेशियरों का हिम पिघलाव। भारत में वार्षिक वर्षा–1170 मिलीमीटर होती है, जिससे यह संसार के सबसे अधिक वर्षा वाले देशों में आता है। परन्तु यहाँ एक ऋतु से दूसरी ऋतु में और एक जगह से दूसरी जगह पर होने वाली वर्षा में बहुत अधिक अन्तर हो जाता है। जहाँ एक सिरे पर उत्तर–पूर्व में चेरापूँजी है, जहाँ हर साल 11000 मिलीमीटर बौछार होती है। वहीं दूसरे सिरे पर पश्चिम में जैसलमेर जैसी जगहें हैं जहाँ मुश्किल से 200 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। बढ़ती आबादी का दबाव, आर्थिक विकास और नाकारा सरकारी नीतियों ने जल स्रोतों के अत्यधिक प्रयोग तथा प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। पुनर्भरण से दुगुनी दर पर जमीनी पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिससे कि जल स्तर हर साल 1 से 3 मीटर नीचे गिर जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीस बड़ी नदियों में से पाँच का नदी बेसिन पानी की कमी के मानक 1000 घन मीटर प्रति वर्ष से कम है और अगले तीन दशकों में इसमें पाँच और नदी बेसिन भी जूड़ेगे।

संभावनाएँ एवं प्रयास :

आज जल संरक्षण करने की अति आवश्यकता है क्योंकि कहा गया है– 'जल ही जीवन है' अर्थात् जल रहेगा तभी जीवन रहेगा। इसमें प्रत्येक आदमी को हाथ बढ़ाना होगा। आम आदमी के साथ–साथ सरकार को भी हाथ बढ़ाना होगा। महाराष्ट्र में रालेगाँव सिद्धि से लेकर राजस्थान के अलवर जिले में और तमिलनाडु के कई इलाकों में छोटे बाँध और तालाब ठीक किये जा रहे हैं ताकि स्थानीय जल समस्या को हल किया जाए। स्थानीय सरकारों ने विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में शहरों की लगभग सभी वाणिज्यिक एवं घरेलू इमारतों में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक नीति बनाने पर जोर दिया है, जैसे चेन्नई ने कर दिखाया है। जल संरक्षण में आम आदमी भी आगे आ रहे हैं। जैसे–गंगा बचाओ आंदोलन, यमुना बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन में आम आदमी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

वन संसाधन संरक्षण :

प्राकृतिक वनस्पति अथवा वन प्रकृति प्रदत्त सम्पदा है जो एक ओर मानव के अनेक उपयोग में आते हैं तो दूसरी ओर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वनों से अपनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ जैसे–इमारती लकड़ियाँ, लकड़ी का कोयला, बाँस, पशु चारा, गोंद, रबर, लाख, कत्था, रेशेदार पदार्थ,

अनेक प्रकार की औषधियाँ आदि प्राप्त तो होती ही हैं। इसके साथ–साथ अनेक जीवों के लिए आश्रय भी प्रदान करती हैं। वनों के उत्पादों की माँग में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज वृद्धि तथा लाभ की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण विश्व की वन सम्पदा में निरंतर कमी आ रही है। एक समय था जब पृथ्वी के 70 प्रतिशत भू–भाग अर्थात् 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन थे, जो वर्तमान में 16 प्रतिशत भू–भाग अर्थात् 1 अरब हेक्टेयर भूमि पर रह गये हैं। अधिकांश रूप से अशोषित वनों के क्षेत्रा ऐसे भागों में हैं जहाँ आसानी से मनुष्य नहीं पहुँच पा रहा है फिर वह निरंतर प्रयत्नशील है और वनोन्मूलन में निरंतर वृद्धि हो रही है। वन भी यद्यपि पुनः उपयोगी होते हैं, यदि उनका नियोजन समयानुसार शोषण किया जाय तो उनका उपयोग निरंतर संभव है, किन्तु हमारी स्वार्थपरता उन्हें समूल नष्ट करने की दिशा में प्रवृत्त है। वनों के विनाश के प्रमुख कारणों में परिस्थितिक असंतुलन, तापमान में वृद्धि, वर्षा में कमी, मृदा अपरदन, बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि, भूमि की उर्वरा में कमी इत्यादि है।

कारण, संभावनाएँ एवं प्रयास :

वनों के अंधा–धुन कटाई तथा वनोन्मूलन में प्रमुख कारण यदि कोई नजर आता है तो वह है एक आम आदमी की जागरूकता। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों के प्रति सचेत हो जाय तो शायद वनों के उन्मूलन में कभी आएगी। एक आम आदमी को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने में गाँधीवादी दृष्टिकोण बहुत मदद कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं उत्तराखण्ड राज्य में चिपको आंदोलन, जिसमें एक स्त्रियों की भूमिका प्रमुख रही थी।

वनों के संरक्षण में सबसे उत्कृष्ट योगदान यदि किसी का होता है तो वो हैं जंगलों में रहने वाले आदिवासी, क्यों की यह जंगल ही उनका घर होता है और कोई भी इंसान अपने घर को कभी नष्ट नहीं कारण चाहता है। यदि कोई आदिवासी का वृक्ष काटता है तो वो दो पेड़ लगता भी क्यों कि वह जानता है कि वृक्षों के काटने से उसका ही नुकसान है। यदि यही ध्येय एक आम आदमी में विद्यमान हो जाय तो पूरी पृथ्वी हरित हो जाएगी और गांधी जी का स्वप्न पूरा हो जाएगा।

मृदा संसाधन संरक्षण :

भूमि की ऊपरी परत–मृदा, एक प्राकृतिक संसाधन है, जिसका निर्माण खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों से होता है। मृदा सभी प्रकार की वनस्पति एवं कृषि के विकास का आधार है। मृदा की उत्पादन क्षमता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि इसकी रासायनिक बनावट मूल शैलों की संरचना पर निर्भर करती है। सामान्यतया यह माना जाता है कि मृदा एक ऐसा संसाधन है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है और प्रकृति इसे संरक्षित रखती है, किन्तु वास्तविक सत्य इससे भिन्न है अर्थात् मृदा का भी निरंतर विनाश हो रहा है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से मृदा नष्ट होती जा रही है जो एक ऐसे संकट को जन्म दे सकती है जिसका निराकरण संभव नहीं हो। इसी कारण मृदा संरक्षण की विचारधारा का प्रारम्भ होता है। इसमें सरकार के साथ–साथ एक आम आदमी को भी सचेत होना पड़ेगा।

मृदा संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना तथा उपजाऊपन को बनाए रखना है, जिससे कि भूमि बंजर ना हो पाये। अधिकांश रूप में मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, अतः मृदा के संरक्षण के अंतर्गत अपरदन की गति को कम करना तथा उर्वरा शक्ति को संचित रखने का प्रयत्न किया जाता है।

कारण, संभावनाएं एवं प्रयास :

मृदा के विनाश का प्रमुख कारण मृदा अपरदन, भूमि स्खलन, वायु द्वारा भूमि का कटाव इत्यादि है। यदि हमें इस पृथ्वी को सुरक्षित रखना है तो सर्वप्रथम इस देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा। मृदा से घनिष्ठ संबंध किसान का होता है, जो उसके लिए माँ के समान होती है। अतः इनको खेती ऐसे विधियों से करनी चाहिए जिससे मृदा अपरदन न हो तथा हमेशा उसकी उर्वरता बनी रहे। आज मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे पहले सभी को कम से कम एक पेड़ लगाना ही चाहिए।

आज के औद्योगीकरण तथा आधुनिकता के युग में लोग सिर्फ अपने भोग–विलास की वस्तुओं को एकत्रित करने में लगे हैं, परंतु मनुष्य जीवन के लिए जो चीज सबसे जरूरी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अगर किसी का ध्यान जा रहा है तो वो सिर्फ आदिवासी लोग ही हैं– ''जिनके लिए वन घर है, जमीन उनका बिस्तर और जल उनका जीवन है।'' लेकिन आज भी लोग इन आदिवासियों को पूर्णतः समझ नहीं पाये हैं, जो इस प्राकृतिक सम्पदा का असली दावेदार और संरक्षक रही हैं। वास्तव में कहा जाय तो ये आदिवासी लोग ही आम आदमी को जागरूक करने का काम करते हैं परन्तु अपने विकास की धुन में मौलिक ज्ञान को देख नहीं पा रहे हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

यद्यपि मानव प्राचीन काल से संसाधन संरक्षण के संबंध में विचार करता रहा है, किन्तु वर्तमान संरक्षण की संकल्पना एवं उसको कार्य रूप देने का क्रम बीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों की देन है। संसाधन संरक्षण की विचार का प्रारम्भ सर्वप्रथम (1908) संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसके बाद धीरे–धीरे यह आंदोलन का रूप लेकर लगभग पूरे देश में फैल रहा है, जिसका प्रभाव विभिन्न जन सत्याग्रहों में दिखाई देता है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक मत हैं, कि संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है। वे संसाधन जो पुनः स्थापित हो सकते हैं उन्हें भी इस प्रकार के उपयोग में लाया जाय कि उनको निर्माण का समय प्राप्त हो अर्थात् आनुपातिक रूप से उपयोग में आने वाले तथा समाप्त होने वाले संसाधनों का संरक्षण तो अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में अनेक सम्मेलन होते रहते हैं, राज्य सरकारें नियम बनाती ही रहती हैं, परंतु जब तक यह आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन जाता संसाधनों का संरक्षण संभव नहीं हो सकता। भविष्य के लिए हमें वर्तमान की पूर्ति को अवश्य ही कम करना होगा अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ न केवल भविष्य धातुओं तथा पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के लिए तरसेंगी, अपितु हमारा पर्यावरण भी इतना प्रदूषित हो चुका होगा कि शायद जीवन ही कठिन हो जाय। ''संसाधन संरक्षण वर्तमान विश्व की प्रमुख आवश्यकता है।''

टिप्पणी–

गोंडवाना लैंड का इतिहास बहुत पुराना है, चुकी यह विदित है कि इस जमीन पर बहुत कम मात्राा में पेड़ पौधे पाये जाते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी 'मृत मृदा' के नाम से जानी जाती है। परंतु महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय ने अपने अथक प्रयास तथा बुद्धिमता से यह सिद्ध कर दिया की बंजर जमीन में भी फूल खिलाया जा सकता है और इसका श्रेय इस विश्वविद्यालय के गांधीवादी विचारों को दिया जा सकता है और आज विश्वविद्यालय का परिसर धीरे–धीरे हरियाली से घिरता दिख रहा है।

संदर्भ सूची–

शर्मा, दीप्ति – कुमार, महेन्द्र (2009) : पर्यावरण अध्ययन, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
शर्मा, ए0एन0 (2009) : भारतीय मानवविज्ञान, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद।
एलविन, वेरियर, (2007) : अगरिया, राजकमल पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
वर्मा, रुपचन्द्र (2003) : भारतीय जनजातियाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्राालय, नई दिल्ली।

डॉ. राम जानकी राय
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान , ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा .